न्यायालय सत्र न्यायाधीश, हापुड़।
उपस्थितः– हनी गोयल, एच.जे.एस. (UP-2408)
CNR No.-UPHP010043602026

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1262 सन 2026

साद पुत्र गालीब खान निवासी ग्राम रसूलाबाद नान, थाना गढ़मुक्तेश्वर, जिला हापुड़।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार।

मुकदमा अपराध संख्या 242 सन 2026
अन्तर्गत धारा–191(2), 191(3), 117(2), 109(1), 352 बी.एन.एस.
थाना–गढ़मुक्तेश्वर, जिला हापुड़।

दिनांक 09.07.2026:–

1. यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक/अभियुक्त की ओर से उपरोक्त मामले में प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार, वादी मुकदमा इरफान खान द्वारा दिनांक 15.05.2026 को थाना गढ़मुक्तेश्वर पर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करायी कि उसका छोटा भाई अमजद खान पुत्र अमीर खान शुक्रवार जुमा को नमाज पढ़कर घर आ रहा था, रास्ते में मुजाहिद पुत्र सईदुल्ला खां ने उसे गाली दी और उसके रूकते ही मुजाहिद पुत्र सईदुल्ला खा, तारिक पुत्र मुजाहिद, फैज पुत्र अशफाक, अदनान पुत्र वली मौ, मासीर पुत्र मुर्शीद, साद पुत्र गानिम, शुऐब पुत्र शहजाद निवासीगण नानपुर, तहसील गढ़मुक्तेश्वर, जिला हापुड़ ने जान से मारने की नियत से चाकू व छुरी से हमला कर दिया, जिससे उसका भाई घायल होकर जमीन पर गिर गया, जिसमें उसके भाई की ज्यादा हालत खराब होने के कारण उक्त अमजद खान को मेरठ मेडिकल हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया है, जिससे अब भी उसकी हालत गम्भीर बनी हुई है, झगडे की आवाज सुनकर बचाने आये, जफरूल्ला पुत्र रफीउल्ला खां, अब्दुल्ला पुत्र चुन्नू खां, मुसअब पुत्र राशिद खां और अबुजर पुत्र शादाब खां जिसमें उक्त अब्दुल्ला की हाथ की हडडी तोड दी और उन सभी के गम्भीर चोटें आयी है। उपरोक्त सभी आपराधिक प्रवृति के है। इन्हीं के नाम पहले भी गढ़ थाने में मुकदमे दर्ज है।

3. आवेदक/अभियुक्त की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है तथा उक्त केस में झूठा फंसाया गया है। आवेदक/अभियुक्त से कोई बरामदगी नहीं हुई है तथा आवेदक/अभियुक्त का किसी प्रकार का कोई रोल नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में वादी द्वारा झगड़े का कोई मोटिव नहीं दर्शाया गया है। एफ0आई0आर0 केवल अभियुक्त को झूठा फंसाने के उद्देश्य से करायी गयी है, जबकि वादीगण झगड़ालू किस्म के व्यक्ति हैं, जबकि एक राय होकर अभियुक्तगण के घर में घुसकर मारपीट की थी, जिससे अभियुक्तगण के परिवारवालों को काफी चोटें आयी थी। यह घटना सी0सी0टी0वी0 कैमरे में मौजूद है। अभियुक्तगण ने वादीगण के द्वारा किये गये झगड़े व सी.सी.टी.वी. कैमरे की फुटेज व चोटे दिखायी फिर भी थाना हाजा ने एक तरफा कार्यवाही करते हुए आवेदक/अभियुक्त की कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं लिखी है। आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक/अभियुक्त मान्य न्यायालय की सन्तुष्टि हेतू उचित अग्रिम जमानत दाखिल करने को तैयार हैं। इस प्रकार आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने का अनुरोध किया गया।

4. उत्तर प्रदेश राज्य की तरफ से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी एवं वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए, कथन किया है कि आवेदक/अभियुक्त ने सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में अपने हाथों में लिये धारदार हथियार से वादी मुकदमा के भाई अमजद खान पर जान से मारने की नियत से हमला किया, जिससे अमजद के पेट में गम्भीर चोटे आयी तथा बीच–बचाव करने आये अब्दुल्ला खान व अबजूर खान को भी घटना में चोटे आयी। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध अत्यन्त गंभीर प्रकृति का है। अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने की मांग की गयी है।

5. अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता दांडिक एवं वादी के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुने तथा अभियोजन की ओर से प्रस्तुत केस डायरी व अन्य प्रपत्रों का सम्यक रूप से परिशीलन किया गया।

6. विधि–व्यवस्था **अदरी धरन दास बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2005) 4 एस0सी0सी0 303** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि, अभियुक्त की गिरफ्तारी का उद्देश्य अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करना मात्र नहीं है, बल्कि इसके अतिरिक्त अन्य उद्देश्य भी होते हैं। अभियुक्त से घटना के उद्देश्य, तैयारी, घटना से सम्बन्धित अन्य व्यक्तियों की जानकारी, घटना के परिणाम आदि के सम्बन्ध में विस्तृत पूछताछ की आवश्यकता हो सकती है। विवेचना के बाधारहित अग्रसारित होने, साक्षी व पीड़ित व्यक्ति से सम्बन्धित व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने व समाज में कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए अभियुक्त की स्वतंत्रता का हनन आवश्यक हो सकता है। उक्त सभी कारणों से अभियुक्त की गिरफ्तारी विवेचना का आवश्यक अंग हो जाती है। न्यायालय को संज्ञेय अपराध की विवेचना व उसके सम्बन्ध में गिरफ्तारी में सामान्यतः हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

7. विधि–व्यवस्था **पी० चिदम्बरम बनाम एन्फोर्समेन्ट डाइरेक्टोरेट क्रिमिनल अपील नं0–1340/2019** के प्रस्तर–60 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अवधारित किया है कि, संज्ञेय अपराध की विवेचना का क्षेत्राधिकार अनन्य रूप से विवेचना करने वाली एजेंसी के पास होता है, जिसमें तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, जब तक कि विवेचक अपने क्षेत्राधिकार का दुरुपयोग नहीं करता और विधि द्वारा दी गयी परिसीमाओं में अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। धारा–438 दं०प्र०सं0 द्वारा प्रदत्त शक्ति असाधारण शक्ति है, जिसके प्रयोग में संयम बरतना चाहिए। गिरफ्तारी पूर्व जमानत केवल अपवादिक मामलों में ही दी जानी चाहिए। अग्रिम जमानत कुछ सीमा तक अपराध की विवेचना में हस्तक्षेप करती है। अतः न्यायालय को अग्रिम जमानत देने के अधिकार का प्रयोग करते समय अत्यन्त सावधान रहना चाहिए। यह असाधरण अनुतोष असाधारण परिस्थितियों में ही दिया जाना चाहिए।

8. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **क्रिमिनल अपील संख्या–1834/2022 सुमिथा प्रदीप बनाम अरूण कुमार सी. के. एवं अन्य** के मामले में अवधारित किया है कि, अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के निस्तारण में न्यायालय को सर्वप्रथम यह देखना चाहिए कि, अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टया मामला है या नहीं, तदुपरान्त अपराध की प्रकृति तथा उसके सम्बन्ध में दिये जा सकने वाले दण्ड पर विचार करना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकरण में स्पष्ट रूप से अवधारित किया है कि, ऐसे अनेक मामले हो सकते हैं, जिनमें हिरासत में लेकर विवेचना करने की आवश्यकता न हो, किन्तु मात्र उक्त आधार पर प्रथम दृष्टया मामले को अनदेखा करते हुए अग्रिम जमानत स्वीकार नहीं की जा सकती। उक्त मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय को अवगत कराया गया कि, प्रकरण में आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है तथापि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माननीय केरला उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये अग्रिम जमानत के आदेश को अपास्त कर दिया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त निर्णय से स्पष्ट है कि, अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते समय न्यायालय को अभियुक्त के विरूद्ध उपलब्ध प्रथम दृष्टया मामले पर विचार करना चाहिए और यदि अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनता हो तो अग्रिम जमानत स्वीकार नहीं की जा सकती।

9. माननीय उच्चतम न्यायालय ने विधि–व्यवस्था **सुशीला अग्रवाल बनाम दिल्ली राज्य व अन्य (2020) 5 एस0एस0सी0 (1) (संवैधानिक पीठ)** में यह मत व्यक्त किया है कि, अग्रिम जमानत एक आपवादिक अधिकार है, जिसका अत्यन्त विशेष परिस्थितियों में ही प्रयोग करना चाहिए और यह कोई निर्वाद अधिकार नहीं है।

10. माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपनी विधि–व्यवस्था **डॉक्टर नरेश कुमार मंगला बनाम श्रीमती अनीता अग्रवाल व अन्य ए0आई0आर0 2021 (एस0सी0) 277 (तीन जज खण्डपीठ)** में यह सुस्पष्ट मत व्यक्त किया है कि, अग्रिम जमानत केवल उन आपवादिक परिस्थितियों में स्वीकार की जा सकती है, जहां न्यायालय का प्रथम दृष्टया यह समाधान है कि, आवेदक को कथित अपराध में झूठा फंसाया गया है और वह अपनी स्वतंत्रता का दुरूपयोग नहीं करेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी इस विधि व्यवस्था में अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र व नियमित जमानत प्रार्थनापत्र के अन्तर को स्पष्ट करते हुए यह भी मत व्यक्त किया है कि, यदि आवेदक/अभियुक्त पर लगाये गये आरोप न्याय के उद्देश्य को अग्रसारित करने वाले दर्शित न होकर आवेदक/अभियुक्त को अपमानित व आहत करने के उद्देश्य से लगाया जाना दर्शित होता हो, तो उसे अग्रिम जमानत दी जा सकती है।

11. अग्रिम जमानत देने के सम्बन्ध में न्यायालय को अन्य बातों के अतिरिक्त अभियोग की प्रकृति और गम्भीरता व इस सम्भाव्यता पर ध्यान देना चाहिए कि, आवेदक द्वारा अभियुक्त को ऐसे गिरफ्तार कराकर क्षति पहुंचाने या अपमान करने के उद्देश्य से अभियोग लगाया गया है।

12. आवेदक/अभियुक्त पर आरोप है कि आवेदक/अभियुक्त पर यह आरोप है कि उसने सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में अपने हाथों में लिये धारदार हथियार से वादी मुकदमा के भाई अमजद खान पर जान से मारने की नियत से हमला किया, जिससे अमजद के पेट में गम्भीर चोटे आयी तथा बीच–बचाव करने आये अब्दुल्ला खान व अबूजर खान को भी घटना में चोटे आयी। केस डायरी पर उपलब्ध अमजद खान की एम.एल.सी. रिपोर्ट के अनुसार चुटैल अमजद खान के शरीर पर पांच चोटें पायी गयी है, जिसमें से चोट नं0 1 व 2 पेट पर धारदार हथियार से आना बताया गया है तथा चोट नं0 3, 4, व 5 ठोस व कुन्द हथियार से आना बताया गया है। उक्त सभी चोटों को निगरानी में रखा गया है। केस डायरी पर उपलब्ध अब्दुल्ला खान की एम.एल.सी. रिपोर्ट के अनुसार उसके शरीर पर तीन चोटें पायी गयी है, उक्त सभी चोटों को ठोस व कुन्द हथियार से आना बताया गया है और निगरानी में रखा गया है। केस डायरी पर उपलब्ध अबूजर खान की एम.एल.सी. रिपोर्ट के अनुसार उसके शरीर पर एक चोट पायी गयी है, जिसे ठोस व कुन्द हथियार से आना बताया गया है तथा निगरानी में रखा गया है। दौरान विवेचना विवेचक को दिये गये बयान में वादी मुकदमा ने कथन किया है कि आवेदक/अभियुक्त व सह अभियुक्तगण ने जान से मारने की नियत से एक राय होकर उसके भाई अमजद खान के उपर चाकू व छुरी से हमला किया, जिससे उसका भाई घायल होकर जमीन पर गिर गया तथा बचाने आये अब्दुल्ला के हाथ की हडडी तोड़ दी तथा अन्य को भी चोटे आयी। दौरान विवेचना विवेचक को दिये गये बयान में स्वतंत्र साक्षी जाहिद ने अभियोजन कथानक का समर्थन किया है तथा स्वतंत्र साक्षी शमेआलम ने अपने बयान में घटना का समर्थन करते हुए कथन किया है कि मुजाहिद और फैज के हाथों में चाकू और छुरी जैसे धारदार हथियार से थे, जिनसे उन्होंने अमजद पर वार करना शुरू कर दिया। दौरान विवेचना विवेचक को दिये गये बयान में चुटैल अमजद खान ने घटना का समर्थन करते हुए कथन किया है कि इन सभी ने अपनी–अपनी जेब से धारदार चाकू और छुरी निकाल ली और जान से मारने की नियत से उसके उपर ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिये, जिससे उसका पेट फट गया और अंदर का हिस्सा बाहर आने लगा। तारिक ने भी छुरी से उसके पेट में दाहिनी तरफ वार किया। दौरान विवेचना विवेचक को दिये गये बयान में साक्षीगण मोहम्मद कादिर, नौशाद, सलमान खान, मजरूब अब्दुल्लाह खान, मजरूब जफरूल्लाह खान द्वारा सभी अभियुक्तगण की संलिप्तता घटना में बतायी गयी है। इस प्रकार विवेचक द्वारा दौरान विवेचना आवेदक/अभियुक्त व सह अभियुक्तगण की घटना में संलिप्तता पाये जाने का साक्ष्य संकलित किया गया है। आवेदक/अभियुक्त व सहअभियुकतगण का अपराध अत्यन्त गम्भीर प्रकृति का है। मामले की विवेचना अभी प्रचलित है और कई महत्वपूर्ण साक्षियों का साक्ष्य संकलित किया जाना अभी शेष है। इस न्यायालय द्वारा पूर्व में समान भूमिका वाले सह अभियुक्तगण मुजाहिद व फैज के नियमित जमानत प्रार्थनापत्र दिनांक 01.06.2026 एव सहअभियुक्त तारीक का नियमित जमानत प्रार्थना पत्र दिनांक 08.07.2026 को निरस्त किये जा चुके है। अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र केवल मात्र उन अपवादिक परिस्थितियों में स्वीकार किया जा सकता है, जहां आवेदक/अभियुक्त को अपमानित या आहत करने के उद्देश्य से आरोप लगाया गया हो, जो न्याय के उद्देश्यों को अग्रसारित करने वाले न हों। वर्तमान मामले में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से प्रथम दृष्टया आवेदक/अभियुक्त को मात्र क्षति पहुंचाने या अपमानित करने के लिए झूठा नामित किया जाना प्रतीत नहीं होता है। आवेदक/अभियुक्त को इस स्तर पर अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने का पर्याप्त आधार नहीं है।

13. उपरोक्त समस्त तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह न्यायालय गुण दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना आवेदक/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार करने का पर्याप्त आधार नहीं पाता है।

<u>आदेश</u>

तदनुसार आवेदक/अभियुक्त **साद पुत्र गालीब खान** की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र **निरस्त** किया जाता है।

दिनांक 09.07.2026

प्रभारी सत्र न्यायाधीश,
हापुड़।